भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *148

जिसका उत्तर 01 अगस्त, 2024 को दिया जाना है।

.....

पानी से संबंधित मुद्दों के लिए कई बोर्ड

***148. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान में पानी से संबंधित मुद्दों के लिए राज्य एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा केन्द्रीय भू-जल बोर्ड आदि जैसे अनेक निकाय उत्तरदायी हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि ऐसे अनेक निकायों के कारण आवश्यक मामलों पर निर्णय देने में विलंब हुआ है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने राज्य और केन्द्र स्तर पर ऐसे सभी निकायों के प्रतिनिधित्व वाले एक केन्द्रीय निकाय का गठन करने पर विचार किया है ताकि जरूरी निर्णय लिए जाने में अनावश्यक विलंब न हो; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री (श्री सी. आर. पाटील)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"पानी से संबंधित मुद्दों के लिए कई बोर्ड" के संबंध में दिनांक 01.08.2024 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या *148 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): भारत में जल प्रबंधन के कार्य प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है, केंद्र सरकार की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां केवल सहायता करना हैं। जल क्षेत्र में अलग-अलग अधिदेश, भूमिका और क्षेत्राधिकार वाली विभिन्न एजेंसियां काम कर रही हैं। जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) जल धाराओं और कुओं की सफाई बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हैं। जल शक्ति मंत्रालय के तहत केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी), एक बहु-विषयक वैज्ञानिक संगठन है जिसे देश के भूजल संसाधनों के प्रबंधन, अन्वेषण, निगरानी, आकलन, संवर्धन और विनियमन का काम सौंपा गया है। राज्य भूजल प्राधिकरण, राज्य विधान या सरकारी आदेशों के तहत गठित, अपने क्षेत्राधिकार के भीतर भूजल संसाधनों को विनियमित करते हैं। पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (3) के तहत स्थापित केंद्रीय भूजल प्राधिकरण, उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भूजल विनियमन की देखरेख का कार्य करता है जिनके पास उनके स्वयं का विनियामक तंत्र नहीं हैं।

(ख): चूंकि सभी निकायों के कार्य क्षेत्र स्वतंत्र हैं, इसलिए आवश्यक मामलों पर अधिनिर्णय में विलंब की कोई सूचना नहीं है।

(ग) और (घ): जल शक्ति मंत्रालय विचारों के उपयुक्त आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और प्रचालनात्मक सुविधा को बेहतर करने के लिए जल प्रबंधन क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के लिए एक समान मंच बनाने के लिए विभिन्न पहल कर रहा है। इस दिशा में सामंजस्यपूर्ण, समग्रता तरीके से और एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से भूजल सहित देश में सभी जल संसाधनों के प्रबंधन के लिए सचिव, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय अंतर्विभागीय संचालन समिति (एनआईएससी) गठित की गई है। एनआईएससी के सदस्यों में संबद्ध केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं, जिनकी बैठकें वार्षिक रूप से होती हैं।
